मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462004
:::आदेश :::

भोपाल दिनांक–26/10/2021

क्र0एफ–6–4/2020/पैंतीस::डॉ0 अरविंद चतुर्वेदी, अतिरिक्त उप संचालक संचालनालय पशुपालन मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दि0 31.07.2020 को रात्रि लगभग 9.00 बजे डॉ0 पी.एस. पटेल, संयुक्त संचालक, राज्य पशु चिकित्सालय भोपाल के आवास क्रमांक ई–100/17 शिवाजी नगर भोपाल में जाकर जाति सूचक शब्दों, गाली–गलौंज एवं अभद्रतापूर्वक व्यवहार किए जाने के कारण संचालक पशुपालन द्वारा उक्त दोनों अधिकारियों के विरूद्व म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उल्लंघन करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम) 1966 के नियम 9 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

2/ डॉ0चतुर्वेदी को विभागीय पत्र दि0 08.09.2020 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसके बिंदु निम्नानुसार थे:–

(I) यह कि आप पशु चिकित्सालय रातीबढ़ भोपाल में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर कार्यरत हैं।

(II) यह कि आपके द्वारा डॉ0 अरविंद चतुर्वेदी उप संचालक, संचालनालय भोपाल के साथ दिनांक 31.07.2020 को रात्रि लगभग 9.00 बजे डॉ0 पी.एस.पटेल, संयुक्त संचालक, राज्य पशु चिकित्सालय भोपाल के शासकीय आवास क्रमांक ई–100/17 शिवाजी नगर भोपाल पर जाकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौच एवं अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया । आपके द्वारा डॉ0 पटेल को पूरी तरह बरबाद करने तथा पूरे प्रदेश में नौकरी नहीं करने देने की धमकी भी दी गई है।

(III) आपके उक्त व्यवहार से राज्य पशु चिकित्सालय का स्टाफ दहशत में है । राज्य पशु चिकित्सालय जहांगीराबाद के समस्त स्टाफ ने शासन को ज्ञापन प्रस्तुत कर आपके विरूद्व कार्यवाही का अनुरोध किया है।

(IV) अध्यक्ष, प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ भोपाल,वेटनरी डाक्टर्स एसोसिएशन ने भी अपने ज्ञाप द्वारा आपके विरूद्व कार्यवाही का अनुरोध किया है।

(V) आपके द्वारा कारित कृत्य के कारण डॉ0 पी.एस.पटेल, संयुक्त संचालक, राज्य पशु चिकित्सालय, भोपाल द्वारा आपके विरूद्व थाना हबीबगंज, भोपाल में भा.द.वि. की धारा 462, 323, 34, 3 (1)(द), 3 (2)(Va) के अंतर्गत दि0 31.7.2020 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

(VI) आपके उक्त व्यवहार से विभागीय छवि भी धूमिल हुई है।

(VII) आपके द्वारा कारित कृत्य से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम का उल्लंघन किया जाना सिद्व हुआ है।

3/ डॉ0 अरविंद चतुर्वेदी, अतिरिक्त उप संचालक संचालनालय पशुपालन द्वारा यथासमय कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उनकी एक वेतनवृद्वि असंचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया।

MIS/41
28.10.21

2..

4/ विभागीय अनंतिम प्रशासकीय निर्णय पर लोक सेवा आयोग ने अपनी सहमति संसूचित करते हुए लेख किया कि :–

प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचारोपरांत यह पाया गया कि डॉ0 अनिल कुमार शर्मा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं डॉ0अरविंद चतुर्वेदी, अतिरिक्तउप संचालक, संचालनाम.प्र.भोपाल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी प्रकरण अनावश्यक विलंब किए जाने तथा निधारित समयावधि में प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण शासन ने दोनों अपचारियों के विरूद्व म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत उनकी एक–एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति अधिरोपित किए जाने का अनतिम प्रशासकीय निर्णय लिया है, वह आयोग के मत में उचित है।

5/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) में निहित प्रावधानों के तहत तत्कालीन अतिरिक्त उप संचालक डॉ0 अरविंद चतुर्वेदी, संचालनालय पशुपालन की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लेता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
26/10/2021

(सुनील मड़ावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग

MIS

27 OCT 2021

संचालनालय पशु चिकित्सा
3398/17
28/10/21

पृ0क्रमांक एफ–6–4/2020/पैंतीस
भोपाल, दिनांक–26/10/2021

प्रतिलिपिः–

1/ निज सहायक, मान0 मंत्री जी, पशुपालन एवं डेयरी, मध्यप्रदेश,
2/ निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
3/ संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश, भोपाल,
4/ अवर सचिव, म0प्र0लोक सेवा आयोग, इंदौर,
5/ संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, भोपाल संभाग, भोपाल
6/ डॉ0 अरविंद चतुर्वेदी, अतिरिक्त उप संचालक, पशु चिकित्सालय माचलपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश,
7/ उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, राजगढ़,

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

8/ प्रभारी बेवसाइट, बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9/स्टॉक फाईल.

26/10/2021
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग